किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 6ए गौवंश अधि0 नम्बर 15.सन् 2023
उनवानी थानाधिकारी खोह बनाम जमशेद
एफआई आर नम्बर 130/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
03.8.23	ए0पी0पी0 उपस्थित। अभिभाषक अप्रार्थी0 उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी जमशेद पुत्र आसी जाति मेव निवासी द्वारकापुर, सुकैती थाना सीकरी जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर आपराधिक विविध याचिका संख्या 9353/2022 निर्णय दिनांक 1–2–2023 की पालना में पेश किया गया है। प्रार्थी जमशेद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 1.2.2023 की सत्यप्रतिलिपि भी सलंग्न की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर, मूल पत्रावली कार्यालय से तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। माननीय उच्चन्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 01.02.2023 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने S.B. Criminal Misc.Petition No. 9353 /2022 उनवानी जमशेद बनाम एस.एच.ओ. पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर निर्णय 01.02.2023 का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का निर्णय दिनांक 01.02. 20233 निम्न प्रकार है – "--By order dated 14-9-2022 passed in Application No. 08/2022, the Collector Bharatpur in execise of power under Section 6A of The Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Suaughter and Regulation of Temproray Migration or Export) Act,1995 has issued notice to the petitioner should deposit the fine of Rs.500000/- and get the vechicle released otherwise on expiry of the said period of 30 days, the vehicle would be confiscated. The petitioner has not approached the Collector in compliance of the aforesaid order. Let the petitioner file representation within 10 days from today alongwith a copy of this order to the Collector, who shall pass the order according to law..." योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी संख्या आरजे 05/जीबी–7892 का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी ने अपने जप्त वाहन की सुपुर्दगी हेतु श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 457 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया था। न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 14.9.2022 को पांच लाख रुपये जुर्माना	

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

राशि राजकोष में जमा कराये जाने पर वाहन को रिलीज किये जाने के आदेश दिये गये थे। योग्य अभिभाषक का कहना है कि उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय याचिका पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को दस दिवस के अन्दर श्रीमान के समक्ष अपना पक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत के निर्देश की पालना में पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, प्रार्थी इतनी भारी रकम जमा कराने में असमर्थ है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि वाहन द्वारा पशु निर्गमन हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा रवन्ना शुल्क की रसीद भी कटवाई हुई थी जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना की कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुये अपने पूर्व आदेश में पारित जुर्माना राशि हटाते हुये प्रार्थी को वाहन रिलीज किया जावे।

सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपने कथनों में बताया कि पुलिस थाना खोह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए गौवंश अधिनियम उनवानी थानाधिकारी खोह बनाम जमशेद में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 14.9.2022 को अन्तिम निर्णय लिया गया है। प्रार्थी जमशेद की ओर से धारा 6ए गौवंश अधिनियम का कोई जवाब या साक्ष्य अपने हक में प्रस्तुत करने से इन्कार करने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण की मैरिट पर बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर श्रीमान द्वारा निर्णय दिनांक 14.9.2022 पारित किया गया है। ए.पी.पी. का यह भी तर्क है कि कथित रवन्ना रसीद फोटो प्रति जो कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जारी की गई है, यह रवन्ना रसीद गौंवश को राजस्थान राज्य से बाहर हरियाणा राज्य में ले जाने की वैध परमिशन नहीं मानी जा सकती है। प्रार्थी ने नियमों के तहत गौवंश को राजस्थान सीमा से बाहर अन्य राज्य हरियाणा में ले जाने परिवहन करने की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिमिशन पेश नहीं की है।

पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं थानाधिकारी,पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) इस आश्य का पेश किया गया, कि दिनांक 20.6.2022 को गश्त के दौरान ग्रांम टोडा पहुंचने पर एक पिक अप गाडी तेज गति से डीग की तरफ से आई गाड़ी को रोक कर चैक किया गया। पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 की बाडी में 05 गौंवश जिनमें 3 गाय व 1 बछिया जिन्दा वं 1 बछडा मृत अवस्था में निर्दयता पूर्वक भरे मिले, पूछताछ में पिकअप गाड़ी का रजि. नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 का मालिक जमशेद पुत्र आसी जाति मेंव निवासी द्वारकापुर सुकैती थाना सीकरी बताया, तथा उक्त गौवंश को वध हेतु हरियाणा ले जाना बताया उक्त शख्स जमशेद का यह कृत्य धारा 3, 5 व 8 आरबीए एक्ट तारीफ में आने पाये जाने पर उक्त शख्स जमशेद के कब्जे की 05 गौंवश को बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया गाडी पिकअप रजि.न. आरजे 05 जीबी 7892 को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। जमशेद को जुर्म से आगह कर जुर्म धारा 3,5 व 8 आरबीए एक्ट से अवगत कराते हुये हस्व कायदा वरुये फर्द गिरफतार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया।

जिला कलक्टर
भरतपुर

मुलजिम जमशेद से तफतीश की गई घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका कशीद कर शामिली पत्रावली किया गया जप्त शुदा जिवित गौवंश को जरखोड गौशाला जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की, मृतक गौवंश का पोस्ट मार्टम कर अंतिम क्रिया कर्म कराया जाकर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में समस्त तफतीश हासला बयानात गवाहन नक्शा मौका तफतीश मुलजिम व फर्दात एवं पोस्टमार्टम रिर्पोट मृतक गौंवंश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मुलजिम जमशेद पुत्र आसी निवासी द्वारकापुर सुकैती पलका तहसील नगर द्वारा उक्त वाहन नम्बर आरजे 05 जीबी 7892 से गौंवशों को तसकरी कर गौकसी के लिये राजस्थान से हरियाणा विना परमीसन के ले जाना पाया गया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण नम्बर 08/22 उनवानी थानाधिकारी खोह बनाम जमशेद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जमशेद को नोटिस धारा 6ए जारी किया गया। नोटिस अप्रार्थी पर तामील हुआ, इसी दरम्याद अप्रार्थी जमशेद की ओर से उनके अभिभाषक मुकीम खान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी वाहन दिनांक 6.9.2022 को पेश किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी अभिभाषक को नोटिस धारा 6ए का जबाब एवं अपने हक में साक्ष्य वगै0 पेश करने को कहा गया –

जैसा कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.9.2022 के पृष्ठ 2 के पैरा–2 में इसका उल्लेख किया गया –

> "....अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक मुकीम खान उपस्थित आये। अप्रार्थी के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र की नकल दी गई तथा आरोपों के सम्बन्ध में अपना जबाब साक्ष्य वगे. प्रस्तुत करने का कहा गया। अभिभाषक अप्रार्थी ने कोई जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करने की प्रार्थना की गई....।"

इस पर उभय पक्ष की मैरिट पर बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 14.9.2022 पारित किया गया है।

न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.9.2022 पेज 5 प्रथम पैरा में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पर भी विचार किया निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है –

> ".....प्रार्थना पत्र आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है .....।"

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी का निस्तारण मैरिट के साथ ही निर्णय दिनांक 14.9.2022 को किया जा चुका है।

प्रार्थी का यह कहना कि उसने वाहन पशु निर्गमन हेतु नगर निगम जयपुर हैरिटेज रवन्ना शुल्क रसीद कटवाई थी, यह रसीद उसे कोई मदद नहीं करती है क्यों कि **राजस्थान गौवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी निनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम में स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य से बाहर गौवंशीय पशु ले जाने या परिवहन करने के लिये सक्षम अधिकारी की परिमिशन की आवश्यकता होती है। उक्त कथित रसीद से अप्रार्थी को राजस्थान राज्य सीमा से अन्य राज्य की**

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सीमा हरियाणा में गौवशीय पशु को परिवहन करने की अनुमति नहीं मानी जा सकती है,

प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पर पांच लाख जुर्माना पर वाहन रिलीज किये जाने के आदेश तहत न्यायालय ने दिये स्वीकार योग्य नहीं रहता है, क्यों कि उपरोक्त विवेचनानुसार विचाराधीन प्रकरण में मैरिट पर बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार मैरिट पर निर्णय दिनांक 14.9.2022 पारित किया गया है कि :—

".....प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन आरजे 05 जीबी 7892 पर जुर्माना (Fine) राशि पॉच लाख रुपये राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजर ने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना खौह जिला भरतपुर को प्रेषित हो..... ।"

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के S.B. Criminal Misc.Petition No. 9353 /2022 उनवानी जमशेद बनाम एस.एच.ओ. पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर निर्णय 01.02.2023 के परिप्रेक्ष्य एवं प्रार्थी की आर्थिक स्थिति की प्रार्थना को मध्य नजर रखते हुये इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 08/2022 थानाधिकारी खोह बनाम जमशेद में पारित निर्णय दिनांक 14.9.2022 में इस प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है कि **जुर्माना (Fine)** राशि पॉच लाख रुपये के स्थान जुर्माना (Fine) राशि तीन लाख रुपये की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)